



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE



“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म की घटना कारित करने के आरोपी रिजवान को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 20 वर्ष का कारावास व 30,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-



अवगत कराना है कि वर्ष 2023 में अभियुक्त रिजवान पुत्र कल्लु निवासी घड़ी दुर्गनपुर थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बालैनी पर मु0अ0सं0 58/23 धारा 363/376/328 भादवि व ¼ पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 23.03.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल पोक्सो कोर्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त रिजवान को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कारावास व 30,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



नरेन्द्र पवार
एडीजीसी



है0का0 विनोद कुमार
कोर्ट पैराकार

@baghpatpolice

baghpatpolice



Baghpat Police



प्रेस नोट
थाना बिनौली

दिनांक 23.03.2026

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 74/26 धारा 191(2)/191(3)/190 /109(1)/131/115(2) बीएनएस में वाँछित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनकी निशांदाही से घटना में प्रयुक्त 01 डंडा बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.03.2026 को थाना बिनौली पर वादी आस मोहम्मद पुत्र हनीफ निवासी ग्राम जिवाना गुलियान थाना बिनौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों



1. समीर पुत्र समेदीन, 2. सोनू पुत्र खचेडू, 3. अमीर पुत्र समेदीन, 4. रोहित पुत्र सलीम, 5. मोसीन पुत्र काले, 6. सलीम पुत्र नजबूदीन निवासीगण ग्राम जिवाना गुलियान थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा एक राय होकर लाठी-डंडे व धारदार हथियार लेकर उसपर जान से मारने की नीयत से हमला कर मारपीट की गई, जिसमें वह तथा उसके पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 74/26 धारा 191(2)/191(3)/190/ 109(1)/131/115(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 74/26 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/131/115(2) बीएनएस में वांछित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी निशांदाही से घटना में प्रयुक्त 01 डंडा बरामद हुआ है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-सोनू पुत्र खचेडू निवासी ग्राम जिवाना गुलियान थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 2-समीर पुत्र समेदीन निवासी ग्राम जिवाना गुलियान थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 3-सलीम पुत्र अजमुद्दीन निवासी ग्राम जिवाना गुलियान थाना बिनौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त 01 डंडा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री नीलकान्त सिंह थाना बिनौली।
- 2-है0का0 801 सावन सिंह थाना बिनौली।
- 3-का0 1115 राहुल तिवारी थाना बिनौली।



प्रेस नोट

थाना बडौत

दिनांक 23.03.2026

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमन्चा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक अवैध तमन्चा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है ।

उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 190/26 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शावेज खान उर्फ पोपी पुत्र महबूब निवासी करबा व थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमन्चा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री आशीष कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 45 महीपाल थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-का0 970 रोहित अत्री थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 23.03.2026

थाना बडौत पुलिस ने 09 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा 09 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता-

- 1-दिलाबर पुत्र जीवनराम निवासी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-रामधन पुत्र उमराव सिंह निवासी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-विजयपाल पुत्र शयाम सिंह निवासी ग्राम बिजरौल थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4-इकराम पुत्र काला उर्फ इकबाल निवासी ग्राम कोताना थाना बडौत जनपद बागपत।
- 5-आसिफ पुत्र इकबाल निवासी ग्राम औसिक्का थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 6-आरिफ पुत्र फैजूद्दीन निवासी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 7-आमिर पुत्र शानू निवासी पट्टी खोच्बा बाबली थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 8-कपिल कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार निवासी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 9-राजा पुत्र सुभाष निवासी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री रामकुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-म0उ0नि0 नीतू सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4-उ0नि0 श्री सचिन कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 5-उ0नि0 श्री अनूप कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 6-उ0नि0 श्री जगवीर सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 7-उ0नि0 श्री आदित्य कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।

